रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226312
CG-DL-E-31032021-226312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1325] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 1325] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 1432(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 93/2020, तारीख 31 दिसंबर, 2020 को, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्या का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, निर्दिष्ट करती है कि –

(अ) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम कहा गया है) है और, --

(क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी कार्रवाई को पूरा किया जाना, आय-कर अधिनियम की धारा 149 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा या धारा 151 के अधीन मंजूरी के अनुसार धारा 144ग की उपधारा (13) के अधीन किसी आदेश के पारित किए जाने या धारा 148 के अधीन सूचना को जारी किए जाने से संबंधित है,–

(i) 31 मार्च, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान आय-कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय-सीमा उक्त कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; और

(ii) 30 अप्रैल, 2021 अंतिम तारीख होगी जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ा दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखंड के अधीन, आय-कर अधिनियम की धारा 149 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा या धारा 151 के अधीन मंजूरी के अनुसार धारा 148 के अधीन सूचना को जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति आय-कर अधिनियम की धारा 148, धारा 149 और धारा 151 के उपबंध, जैसे वे 31 मार्च 2021 को, वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थे, लागू होंगे ।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई का अनुपालन आय-कर अधिनियम की धारा 139अअ की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी के लिए आधार संख्या की सूचना से संबंधित है, ऐसी कार्रवाई के अनुपालन के लिए समय-सीमा को 31 जून, 2021 तक बढ़ा दी जाएगी ।

(आ) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम वित्त अधिनियम,2016 (2016 का 28) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का अध्याय 8 है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई के पूरा करना वित्त अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजने से संबंधित है –

(i) 31 मार्च, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय-सीमा उक्त कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; और

(ii) 30 अप्रैल, 2021 अंतिम तारीख होगी जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ा दी जाएगी;

[अधिसचूना सं. 20/2021/फा.सं.370142/35/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान प्रभाग

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 4805 तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

S.O. 1432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No.93/2020 dated the 31st December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4805(E), dated the 31st December, 2020, the Central Government hereby specifies that,—

(A) where the specified Act is the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income-tax Act) and, —

(a) the completion of any action referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act relates to passing of an order under sub-section (13) of section 144C or issuance of notice under section 148 as per time-limit specified in section 149 or sanction under section 151 of the Income-tax Act, —

(i) the 31st day of March, 2021 shall be the end date of the period during which the time-limit, specified in, or prescribed or notified under, the Income-tax Act falls for the completion of such action; and

(ii) the 30th day of April, 2021 shall be the end date to which the time-limit for the completion of such action shall stand extended.

Explanation.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that for the purposes of issuance of notice under section 148 as per time-limit specified in section 149 or sanction under section 151 of the Income-tax Act, under this sub-clause, the provisions of section 148, section 149 and section 151 of the Income-tax Act, as the case may be, as they stood as on the 31st day of March 2021, before the commencement of the Finance Act, 2021, shall apply.

(b) the compliance of any action referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act relates to intimation of Aadhaar number to the prescribed authority under sub-section (2) of section 139AA of the Income-tax Act, the time-limit for compliance of such action shall stand extended to the 30th day of June, 2021.

(B) where the specified Act is the Chapter VIII of the Finance Act, 2016 (28 of 2016) (hereinafter referred to as the Finance Act) and the completion of any action referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act relates to sending an intimation under sub-section (1) of section 168 of the Finance Act, —

(i) the 31st day of March, 2021 shall be the end date of the period during which the time-limit, specified in, or prescribed or notified under, the Finance Act falls for the completion of such action; and

(ii) the 30th day of April, 2021 shall be the end date to which the time-limit for the completion of such action shall stand extended.

[Notification No. 20/2021/F. No. 370142/35/2020-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation Division

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. No. 4805 dated 31st December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.31 23:41:15 +05'30'